

**कार्यालय संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) भरतपुर संभाग भरतपुर**  
**कार्यालय आदेश**

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा द्वितीय वेतन श्रृंखला वरिष्ठ अध्यापक (हिन्दी) पद हेतु भर्ती परीक्षा 2018 में चयनित निम्न अभ्यर्थियों को निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर के पत्रांक शिविरा/माध्य/संस्था/एफ-1/12102/सी.भ./व.अ.-हिन्दी(नॉनटीएसपी)-2018/2020 दिनांक 17-08-20 के द्वारा नियुक्ति प्रदान करने हेतु इस कार्यालय को आवंटित किये गए अभ्यर्थियों को द्वितीय वेतन श्रृंखला वरिष्ठ अध्यापक (हिन्दी) के पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2017 के अनुसार लेवल-11 में प्रोबेशनर ट्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोबेशन पर नियमानुसार देय नियत मानदेय 26500/-रु.प्रतिमाह /विद्यमान(पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन) पर राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश परिपत्र दिनांक 02-07-2020 के अनुसरण में दिनांक 03-09-2020 को आयोजित परामर्श कैंम्प के माध्यम से निम्नांकित अभ्यर्थियों को द्वितीय वेतन श्रृंखला वरिष्ठ अध्यापक (हिन्दी) के पद पर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर निम्नांकित शर्तों के अध्याधीन नियुक्त कर पदस्थापित किया जाता है ।

1. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में नियत मानदेय के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, महंगाई वेतन(डीपी), विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होंगे।
2. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में राज्य बीमा, सामान्य प्रावधानी निधि आदि की कटौती नहीं होगी।
3. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जाएगा।
4. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कलैण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का आकस्मिक अवकाश वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.12(9)एफ.डी.(रूल्स)2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार देय होगा।
5. वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.12(9)एफ.डी.(रूल्स)2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार प्रोबेशनर ट्रेनी के फिक्स रैमुनरेशन से नवीन पेंशन अंशदान की कटौती नियमानुसार होगी।

सम्बन्धित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से सम्पादित करेंगे:-

1. अनावश्यक लाभ रोकने के उद्देश्य से आवेदन पत्र में चस्पा फोटो से कार्यग्रहण करने वाले अभ्यर्थी से मिलान कर लें और यह सुनिश्चित कर लें कि जिस अभ्यर्थी ने आयोग की परीक्षा दी है, वही अभ्यर्थी नौकरी पर कार्यग्रहण करे। एवं नियुक्ति/पदस्थापन आदेश पर अभ्यर्थी का फोटो चस्पा कर प्रमाणित करें।
2. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र सम्बन्धी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, इनके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जाये। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
3. कार्यग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी से उनकी पात्रता, आयु एवं आरक्षण सम्बन्धी समस्त दस्तावेजों की जांच आवश्यक रूप से कर लें।
4. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 7(1)डीओपी/ए-11/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने सम्बन्धी आशय का आवश्यक शपथ पत्र 50/- रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
5. विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने संबंधी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है तो तत्संबंधी आशय का 50/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया जावे।
6. अभ्यर्थी से दहेज नहीं लिये जाने का स्व घोषणा पत्र प्राप्त किया जाए।
7. कार्यग्रहण कराने से पूर्व आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से कर सही पाये जाने पर ही कार्यग्रहण करावें। मिलान में यदि कोई भिन्न स्थिति पाई जावे तो कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावे।
8. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैधता सम्बन्धी जांच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य पाए जाने के अध्याधीन प्रदान की जा रही है। अतः कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों से 50/- रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने सम्बन्धी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
9. कार्यग्रहण कराने से पूर्व समस्त अभ्यर्थियों से 50/-रु0 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र पूर्व में प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा अर्जित शैक्षिक/प्रशैक्षणिक योग्यता वैध व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने सम्बन्धी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में तत्काल नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी तथा नियमानुसार कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
10. अन्य पिछड़ा वर्ग में चयनित अभ्यर्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी स्तर से जाति प्रमाण पत्र नियमानुसार एवं निर्धारित प्रपत्र में जारी किया होना चाहिये एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि "अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है, अर्थात् अनुसूची में वर्णित व्यक्ति कीमिलेयर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिए। यदि कोई अभ्यर्थी कीमिलेयर की श्रेणी में आता है तो अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावे।
11. अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार एवं निर्धारित प्रपत्र में प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिए। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, परन्तु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात का बना हुआ प्रस्तुत करे तो ही मान्य होगा। ऐसा नहीं होने पर अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा आवेदन पत्र इस कार्यालय को वापिस लौटा दिया जावे। उपरोक्तानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चितता आप अपने स्तर पर करने के उपरान्त ही अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक को कार्यग्रहण




कराया जावे। यदि कोई अभ्यर्थी कीमिलेयर की श्रेणी में आता है तो अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावे।

12. चयनित अभ्यर्थी की सूची में अभ्यर्थी के वर्ग इत्यादि में अन्तर पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को कार्यग्रहण ना करवाया जाकर उसका आवेदन पत्र इस कार्यालय को भिजवावे।
13. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से 50/रु0 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर यह शपथ पत्र लेवे कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं एवं दस्तावेज सही हैं, इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।
14. कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.7(3) कार्मिक/क-2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबद्धता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावे।
15. वरिष्ठ अध्यापक, माध्यमिक शिक्षा परीक्षा-2018 में चयनित एवं अभिस्तावित अभ्यर्थियों का आवंटन एवं पदस्थापन वरिष्ठ अध्यापक, माध्यमिक शिक्षा परीक्षा-2018 के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में विचाराधीन समान याचिकाओं के अन्तिम निर्णयाधीन रहेगा।
16. निदेशक मा0शि0 राजस्थान बीकानेर के पत्रांक शिविरा/माध्य/संस्था/एफ-3/सेवा नियमितकरण/2020 दिनांक 13-08-2020 के अनुसार पूर्व सेवारत परिवीक्षाधीन कनिष्ठ सहायक का चयन/पदस्थापन होने की स्थिति में पूर्व पद से त्यागपत्र प्रस्तुत करने पर ही नवीन पद पर कार्यग्रहण करवाया जा कर कार्यग्रहण रिपोर्ट मय त्यागपत्र की प्रति सहित इस कार्यालय को भिजवावे।
17. भूतपूर्व सैनिक वर्ग में चयनित अभ्यर्थियों से अपेक्षित NOC for Civil job, NOC FOR higher Education, Retirement Diary, PPO दोहरे लाभ सम्बन्धी दस्तावेज/शपथ पत्र एवं कार्यग्रहण कराने से पूर्व व0अ0भर्ती 2018 के पदो हेतु भरे हुए आवेदन की सूचना आदि दस्तावेज प्राप्त करते हुए शासन द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना /परिपत्र, पत्र आदि को दृष्टिगत रखते हुए संबंधित संस्थाप्रधान कार्यग्रहण करावे। आयोग द्वारा भूतपूर्व सैनिक वर्ग में चयनित अभ्यर्थियों की अभिस्तावना माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक आदेशों के अधीन प्रोविजनल प्रेषित की गई है, अतः इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति/पदस्थापन माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक आदेशों के अधीन प्रोविजनल ही दिया जा रहा है एवं नियम/शासन की अधिसूचना की शर्त पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।

इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक 30-09-2020 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा, उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। संबंधित संस्थाप्रधान इन्हें शाला दर्पण के माध्यम से कार्यग्रहण करवाकर सूचना तत्काल इस कार्यालय को भिजवाने की व्यवस्था करें।

संलग्न:- आदेश 01

  
(रिपुसूदन) 7-9-2020

संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा  
भरतपुर संभाग भरतपुर

दिनांक : 07-09-2020

क्रमांक : संनि/भरत/माध्य/संस्था-1/फा-नि0 हिन्दी-2018/2020-21/378

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
4. शासन उप सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
6. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
7. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा अभियान भरतपुर /घौलपुर/करौली एवं स0मा0को संबंधित के मूल आवेदन पत्र सहित प्रेषित कर लेख है कि मूल आवेदन पत्र प्राप्त कर संबंधित विद्यालयों को भिजवाए जाने की व्यवस्था किया जाना सुनिश्चित करें।
8. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक /प्रारम्भिक(मुख्यालय) भरतपुर एवं सवाईमाधोपुर
9. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बी0आर0सी0एफ0 समग्र शिक्षा अभियान .....
10. सम्बन्धित संस्था प्रधान को प्रेषित कर लेख है कि मूल आवेदन पत्र आपके परिक्षेत्र के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, को प्रेषित किए जा चुके हैं, आपसी समन्वय से आवेदन पत्र प्राप्त कर लेवे।
11. सम्बन्धित आशार्थी (पंजीकृत डाक द्वारा)
12. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।
13. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक) माध्यमिक शिक्षा बीकानेर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
14. रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा  
भरतपुर संभाग भरतपुर


कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, भरतपुर संभाग भरतपुर

वरिष्ठ अध्यापक, माध्यमिक शिक्षा परीक्षा-2018 विषय-हिन्दी में चयनित अभ्यर्थियों के पदस्थापन आदेश

क्रमांक:-सनि/भरत/माध्य/संस्था-1/फा-नि0हिन्दी-2018/2020-21/378 दि0:- 07-09-2020

S.NO	ROLL NO.	MERIT NO.	NAME OF CANDIDATE / FATHER NAME, HOME ADDRESS	DOB	SELE. CAT.	H.CAT.	OWN CAT.	POSTING PLACE	DISTRICT	CANDIDATE PHOTO
1	670917	1339	CHANDRA PRABHA/BIHARI LAL KHANDELWAL,154 kailashpuri khandaka hospital ke pass tonk road JAIPUR 302018	25-Apr-79	GENF	WD	GE,WE,WD	G. SEC.SCHOOL SHISHOLAV, BOUNLI	SM	
2	770195	1308	MURARI LAL DAGUR/HARI SINGH,near petrol pump,kanchroli VPO-kanchroli Kachroli,Karauli,Rajasthan KARAULI 322230	10/07/1981	OBCM	EX	BC,EX	GGUPS BHIMNAGAR PHULBADA,HINDAUN	KARAULI	
3	663669	1080	BUGLI VERMA/CHHEETAR MAL VERMA,VILL-POST- DANTIL TEH-KOTPUTLI - JAIPUR 303107	06-Jul-86	SCF		SC,WE	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL PAI (211660), KAMAN	BHARATPUR	
4	846948	59	RAKESH KUMAR SHARMA/GOVIND SAHAY SHARMA,AGARWAL COLLEGE KE SAMNE JAIPUR ROAD - SAWAIMADHOPUR 322201	13-Jul-88	GENM		GE,RG	Govt. Senior Secondary School BAGAOR, NADOTI	KARAULI	
5	649204	399	RAJVEER SHARMA/SIYARAM SHARMA,VILLAGE - CHANDSORA POST - CHANDSORA TEH - KHERAGARH AGRA 283115	01-Jan-91	GENM		GE	SETH RAMJILAL GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL MALONI PANWAR (211755), SAIPAU	Dholpur	
6	587131	432	SHRIKANT/RADHESHYAM,VILLA GE SINGHORA POST BASAI NAWAB TEHSIL SAIPAU DHOLPUR 328023	15-Oct-82	GENM		GE	GOVT. SEC. SCHOOL CHITORA, SAIPAU	DHOLPUR	
7	848025	953	HEMRAJ MEENA/RAMDHAN MEENA,VPO-JAKHODA TEH-SAPOTRA - KARAULI 322218	05-Jan-86	STM		ST	GUPS DEEPPURA(08090115104),KARAULI	KARAULI	
8	886877	1057	RAJA RAM/RAM KISHAN,Vpo BHATIWALA TEH SRIVIJAYNAGAR Vaya ANOOPGARH SRI GANGANAGAR 335704	05-Jan-85	SCM		SC	GUPS RAMPURA(08090107403),KARAULI	KARAULI	

नोट :- मैरिट क्रमांक 1339,59,432 एवं 953 अभ्यर्थियों से संबंधित संस्था प्रधान कार्यग्रहण कराने से पूर्व नियुक्ति अधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं मैरिट क्रमांक 399 से अनापत्ति प्रमाण पत्र / त्याग पत्र प्राप्त कर ही कार्यग्रहण करावें । यदि अनापत्ति प्रमाण पत्र में यदि नियुक्ति अधिकारी द्वारा कोई शर्त लगायी है तो उसके अनुसार ही कार्यग्रहण करावें । विपरीत स्थिति में कार्यग्रहण ना कराकर इस कार्यालय को अवगत करावें ।

  
(रिपुसूदन) 29.2020  
संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा  
भरतपुर संभाग भरतपुर